न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 284/2026
आदेश

14.07.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका अभियुक्त 1. सीता देवी 2. उमरावती देवी एवं 3. प्रियंका देवी की ओर से दाखिल किया गया है, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1), 3(5) के अधीन दर्ज कच्छवा थाना कांड संख्या 79/2026 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में श्री दीपक कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदिका अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मंजीत सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका राजकुमारी ने आरोप लगाया है कि दिनांक 19.05.2026 को वह अपने घर के बाहर मोबाईल फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान सह अभियुक्ता सीता देवी ने यह कहते हुए कि सूचक उसे देखकर हंस रही है, विवाद प्रारम्भ किया तथा अपने घर की छत से यह ईंट फेंकी, जिससे सूचिका के हाथ में चोट लगी। आगे अभियोजन का वाद यह है कि शोर सुनकर सह अभियुक्त अरविन्द यादव डंडा लेकर आया और सूचिका के पति के साथ भी अभियुक्त रामगोविन्द यादव, उमरावती देवी एवं प्रियंका देवी ने लाठी–डंडा एवं ईंट से मारपीट किया। तत्पश्चात सूचिका के ससुर के हस्तक्षेप करने पर अभियुक्त रामगोविन्द यादव ने उनके सिर पर डउे से प्रहार कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई और वे बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद बीच–बचाव करने आए। सूचिका के देवर के साथ भी ईंट–पत्थर से मारपीट की गई, जिससे उसे भी चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए, तब सभी अभियुक्तगण गाली–गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। तत्पश्चात घायलों को नासरीगंज सरकारी अस्पताल में उपचार राया तथा उपचार के उपरांत थाना में उपस्थित होकर प्राथमिकी दर्ज कराई।

आवेदिका अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदिका अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका अभियुक्तों की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पूर्व में किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदिका अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदिका अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की पूरी कहानी असत्य, गनगढ़ंत एवं निराधार है तथा जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी थी। आवेदिका अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे आवेदिका अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उभय पक्ष आपस मं पड़ोसी है तथा उनके बीच वाद एवं प्रतिवाद है। इस वाद के सह अभियुक्तों

लगातार
14.07.2026

को विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है। अतः आवेदिका अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदिका अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदिका अभियुक्तों के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि इस वाद में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्तों को जब नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की गई है तो आवेदिका अभियुक्तों को भी विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत की प्रार्थना करनी चाहिए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदिका अभियुक्तों का अभिलेख पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथापि आवेदिका अभियुक्तगण इस वाद की प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि इस वाद के सह–अभियुक्तों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा नियमित जमानत पर मुक्त किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह आदेशित किया जाता है कि आवेदिका अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदिका अभियुक्तगण के आत्मसमर्पण की स्थिति में आवेदिका अभियुक्तों के नियमित जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार सुनवाई कर स्वतंत्र रूप से, इस आदेश से अप्रभावित होकर, समुचित आदेश पारित करेगी। उपरोक्त प्रेक्षण के साथ आवेदिका अभियुक्तों का अग्रिम जमानत आवेदन को **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बिक्रमगंज।